फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मनोज / कृष्णा देवी

...: 91/2024 (धारा ...)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उपस्थित। कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी ने कोई आपत्ति नहीं की। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	तहसीलदार 879 / 11.07.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 879

दिनांक : 11/07/25

तहसीलदार,
तहसील, जालसू,
जयपुर।

विषयः—प्रकरण संख्या 91 / 2024 बउनवानी संतोष बनाम कृष्णा वगै0 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.07.2025 की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद संख्या 91 / 2024 बउनवानी संतोष बनाम कृष्णा वगै0 में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.07.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः—1. प्रतिलिपि निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.07.2025
2. नक्शा ट्रेस

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O)
Email: acm.amer.jpr@gmail.com

न्यायालय :— सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 91 / 2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 25.10.2024

संतोष देवी पत्नी रतन लाल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

—वादी

बनाम

1. कृष्णा देवी उर्फ कल्ली पत्नी लादूराम
2. राजेंद्र प्रसाद शर्मा की पत्नी ललिता देवी
   समस्त जाति बागड़ा निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक कार्यालय जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 10.07.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम पूनाना पटवार हल्का पूनाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित खाता सख्या नया 19 पुराना 17 के खसरा नम्बर 925 रकबा 2.4400 हैक्टेयर, कुल 1 कुल रकबा 2.44 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी हिस्सा 1/3 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित है। तथा शेष हिस्सानुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में प्रतिवादीगण का दर्ज अंकित है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करता आ रहा है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि को एतपश्चात् "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक तकासमा नहीं हुआ है इसलिये वादी एंव प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चलें आ रहें है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एंव अंकित चली आ रही है इसलिये वादी ने समय–समय पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को वाद अधीन कृषि भूमि का वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरतें रहें परन्तु अब चूँकि कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द कर विक्रय करने हेतु उतारु हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय–हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जावें ।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 20.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके राजस्व ग्राम पूनाना पटवार हल्का पूनाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित खाता सख्या नया 19 पुराना 17 के खसरा नम्बर 925 रकबा 2.4400 हैक्टेयर, कुल 1 कुल रकबा 2.44 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025 /2154 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी को कुर्रेजात पर बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया। बहस कुर्रेजात सुनी गई। अतः तहसीलदार जालसू जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. संतोष देवी पत्नी रतनलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 925/2 रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. ललिता देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद हि. 1/2, कृष्णा देवी उर्फ कल्ली देवी पत्नी लादूराम हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 925/1 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 925/3 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 91/2024
मउनवानी – संतोष देवी बनाम कृष्णा देवी वगै0
निर्णय दिनांक :–10.07.2025

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस

संतोष देवी पत्नी रतन लाल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

–वादी

बनाम

1. कृष्णा देवी उर्फ कल्ली पत्नी लादूराम
2. राजेंद्र प्रसाद शर्मा की पत्नी ललिता देवी
समस्त जाति बागडा निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक कार्यालय जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. संतोष देवी पत्नी रतनलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू के हिस्से खसरा नंबर 925/2 रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. ललिता देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद हि. 1/2, कृष्णा देवी उर्फ कल्ली देवी पत्नी लादूराम हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 925/1 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नंबर 925/3 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 10.07.2025 को जारी किया।

दस्तखत–––

ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर रामपुरा डाबड़ी के वाद संख्या 91/2024 उनवान सन्तोष बनाम कृष्णा देवी व० में निर्णय एवं डिक्री 27.3.2025 की पालना में ग्राम "पुनाना" के आराजी ख०न० 925 .... कुल किता 01 कुल रकबा 2.44 हैक्ट० पर कुरेजात रिपोर्ट करने हेतु नोटिस दिनांक 28/5/25 की पालना में आज दिनांक 06/6/25 को बहमराह उपतहसीलदार जालसू/मुण्डोता भू.अ.नि. हल्का जालसू ... पुनाना मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई।

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि					कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
कृष्णा देवी उर्फ कल्ली पत्नि छोटूराम हि० 1/3 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार ललिता देवी पत्नि राजेन्द्रप्रसाद हि० 1/3 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार (3) सन्तोष देवी पत्नि रतनलाल हि० 1/3 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार रहनि हि० 1/3 (पूर्ण भाग) कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू।	925	2.44	बारानी 3	4.88	1	सन्तोष देवी पत्नि रतनलाल जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार रहनि कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू	925/2	0.81	बारानी	
						कुल जमा	01	0.81		
					2	ललिता देवी पत्नि राजेन्द्रप्रसाद हि० 1/2 कृष्णा देवी उर्फ कल्ली पत्नि छोटूराम हि० 1/2 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	925/1, 925/3	[illegible] 0.82	बारानी	
						कुल जमा	02	1.63		

सन्तोष

6-6-2025

उपाध्याय 06.6.2025

06/6/25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.-जालसू

06/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

नकल नक्शा ट्रेस
ग्राम- पूनाना
प०ह० - पूनाना
तहसील- जालसू
जिला- जयपुर
पैमाना - 1 cm= 40m

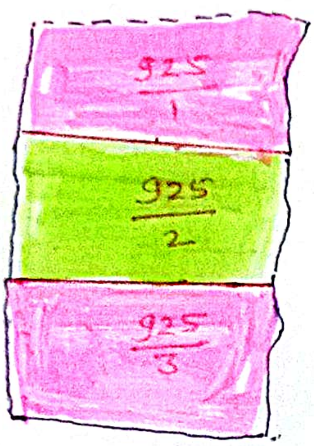

(हरा) सन्तोष देवी पत्नि रतनलाल

(गुलाबी) कृष्णा देवी उर्फ कल्ली पत्नि लादूराम
ललिता देवी पत्नि राजेन्द्र प्रजापत

सन्तोष

प०स० 6-6-2025

06/6/25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.-जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:19 IST
Reason: SelfAttested

06/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील,जालसू